

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 26 सितम्बर 2015—आश्विन 4, शक 1937

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्र. एफ ए 1-10-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (2) तथा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश शासन कार्य (आवंटन) नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में, नियम 2 में, अनुसूची में,—

शीर्षक “ग्यारह—वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग” के अधीन,—

भाग (अ), विभाग में प्रतिपादित नीति संबंधी विषय के अन्तर्गत अनुक्रमांक 09 में, शब्द “भण्डार” के पश्चात् शब्द “और सेवाएं” जोड़े जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2015

क्र. एफ ए 1-10-2015-एक(1).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ ए 1-10-2015-एक(1), दिनांक 26 सितम्बर, 2015 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. कातिया, अपर सचिव.

Bhopal, the 26th September 2015

No. F A 1-10-2015-One(1).—In exercise of the powers conferred by clause (2) and (3) of Article 166 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Business (Allocation) Rules, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in rule 2, in the Schedule,—

Under the heading “XI—COMMERCE INDUSTRY AND EMPLOYMENT DEPARTMENT”—

in part (A), Matters of Policy dealt within the Department at serial number 9, after existing word “Stores”, the words “and Services” shall be added.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
K. K. KATIA, Addl. Secy.